बिहार सरकार

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।
आम सूचना

सं0–04/STA-(विविध)-16/2025 परि0-- 3436 /पटना, दिनांक– 07/05/2026

निदेशानुसार एतद् द्वारा वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि बिहार एवं बंगाल के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गो पर परमिट की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों पर राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की दिनांक–29. 01.2026 को आहूत बैठक में विचार करते हुए कतिपय शर्त्तो के साथ परमिट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तथा निर्धारित शर्त्तो के अनुपालन हेतु पत्राचार किये जाने/अनुरोध किये जाने के बावजूद वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिनके कारण लंबे समय से उक्त वाहन के पक्ष में परमिट का निर्गमन नहीं किया जा सका हैं

वाहन एवं वांछित कागजातों से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मद संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	मार्ग	वांछित कागजात
1	(क–1)1 एवं (क–1)2	मुमताज अली	BR02PC-0517 BR02PC-3156	राजगीर से कोलकाता	विभागीय पत्रांक–2343, दिनांक–24.03.2026 द्वारा वाहन स्वामी को उनके दोनों वाहनों में स्थापित VLTD का डाटा प्रेषण कराये जाने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था परन्तु, जांच कराये जाने पर VLTD का डाटा प्रेषण नहीं पाया गया ।
2	(क–4)7	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम,पटना	BR11PD-2203	सहरसा से सिलीगुड़ी	विभागीय पत्रांक–2668, दिनांक–08.04.2026 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया को विषयांकित वाहन के 3 दिनों के अवैध परिचालन हेतु दंड अधिरोपित कर वसुली हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु अधिरोपित दंड की राशि जमा कर साक्ष्य अबतक अप्राप्त है।
3	(क–2)1 एवं (क–2)2	सुरेश कुमार सिन्हा	BR21P-9008 BR21P-9007	बिहारशरीफ से कोलकाता	विभागीय पत्रांक–2391, दिनांक–25.03.2026 द्वारा वाहन स्वामी को विषयांकित दोनों वाहनो में स्थापित VLTD का डाटा प्रेषण कराये जाने एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण का साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था परन्तु जांच कराये जाने पर VLTD का डाटा प्रेषण नहीं पाया गया तथा पूर्व परमिट प्रत्यर्पण नहीं पाया गया ।
4	(क–7)1	स्मिता	BR11PC-9970	पूर्णियां से रायगंज	विभागीय पत्रांक–2494, दिनांक–02.04.2026 द्वारा विषयांकित वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट प्रत्यर्पण का साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु पूर्व परमिट प्रत्यर्पण कर साक्ष्य अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5	(ख–1)1 एवं (ख–1)2	आनन्द प्रकाश	BR11PB-8309 BR11PB-8310	खेसर से कोलकाता	विभागीय पत्रांक–2670, दिनांक–08.04.2026 द्वारा वाहन स्वामी को वाहन सं0–BR11PB-8309 के पक्ष में निर्गत परमिट में उल्लेखित मार्ग के अनुरूप वाहन का परिचालन नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं संशोधित समय–सारणी शुल्क की अन्तर राशि–1000+1000 अर्थात 2000 जमा कर साक्ष्य अबतक नहीं कराया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इस सूचना के माध्यम से अंतिम अवसर देते हुए अवगत कराया जाता है कि वांछित कागजात **07 दिनों के अन्दर** विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना स्थित अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार–सह–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा प्राधिकार संदर्भित वाहन के पक्ष में स्वीकृत परमिट को रद्द करने के लिए बाध्य होगा।

7.5.26

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3436 पटना, दिनांक– 07/05/2026

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग से अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

7.5.26

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।